मिसिल सं. 31011/6/2002-स्था०(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली ; दिनांक : 26 मार्च,2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत – भारतीय रेलवे कैटरिंग तथा पर्यटन निगम लि० द्वारा संचालित टूर पैकेज द्वारा यात्रा ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 30 जुलाई, 2002 के का.ज्ञा. संख्या 31011/6/2002-स्था.(क) में निहित मौजूदा निर्देशों के अंतर्गत यदि भारतीय पर्यटन विकास निगम/राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उनकी अपनी दो बसों अथवा उनके द्वारा बाहर से ली गई चार्टिड बसों द्वारा टूर संचालित किया जाता है, तो छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम/राज्य पर्यटन विकास निगम दोनों में से कोई भी यह प्रमाणित करे कि सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों; जिनके लिए छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी की गई है, उन्होंने वास्तव में वह यात्रा की है । रेल यात्रा के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम, भारतीय रेलवे कैटरिंग तथा पर्यटन निगम लि० भी भारत भर में इस प्रकार की छुट्टी यात्रा रियायत के पैकेज प्रदान कर रहा है । यह निर्णय किया गया है कि आई.टी.डी.सी./एस.टी.डी.सी. की तरह आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा संचालित टूर पैकेजों को भी छुट्टी यात्रा रियायत हेतु निम्न शर्तों के अधीन अर्हक माना जाएगा :-

(1) आई.आर.सी.टी.सी. लिमिटेड द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा कि सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के उन सदस्यों द्वारा, जिन्होंने छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी प्रस्तुत की है, ने वास्तव में यात्रा की है ।

(2) आई.आर.सी.टी.सी. लि० रेल किराया तथा बस किराया अवयवों को अलग-अलग इंगित करेगा ।

(सी. ए. सुब्रमणियन)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (प्रतियों की सामान्य संख्या सहित) आदि ।